



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक:- 23.07.2026

थाना मलवां पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 5000/- रु0 व अभियुक्त की निशानदेही उसके घर से 20 किलो नाजायज गांजा बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.05.2026 को वादी पंकज साहू उर्फ मुन्ना लाल साहू उर्फ झल्लर साहू पुत्र रामदास निवासी अल्लीपुर, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 01.05.2026 की रात्रि वह अपने परिवार सहित घर में ताला लगाकर पारिवारिक विवाह समारोह में गया था। इसी दौरान अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर दो अलमारियों के ताले तोड़ दिए गए तथा दो सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, कान की झुमकी, लॉकेट सहित सोने का हार एवं ₹1,50,000 नकद चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मलवां पर मु0अ0सं0 84/2026, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मलवां पुलिस द्वारा दिनांक 22.07.2026 को मु0अ0सं0 84/2026 धारा 305a/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियोग में प्रकाश में आया 01 शातिर अभियुक्त सलमान उर्फ सलीम उर्फ राजू पुत्र छेदू निवासी शांति नगर अरबपुर बस स्टैण्ड के पास थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी किये गये पैसों में से 5000 रुपये तथा अभियुक्त के घर की तलाशी के दौरान अभियुक्त निशानदेही पर 20 किलो नाजायज गांजा बरामद किया गया । बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व धारा 8/20 N.D.P.S act की बढ़ोत्तरी की गई तथा गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 23.07.2026 को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अल्लीपुर में पंकज साहू के घर से उसने व कमल जोशी पुत्र ज्ञानप्रकाश निवासी माहपुर मोहल्ला, लखनऊ बाईपास, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर के साथ मिलकर घर का ताला तोड़कर एवं अलमारी तोड़कर दिनांक 02.05.2026 को प्रातःकाल लगभग 04:00 बजे चोरी की थी। चोरी के दौरान ₹60,000 (साठ हजार रुपये) नगद तथा गले व पैरों में पहनने वाले जेवरात चोरी किए थे। जेवरात बेचकर उसका बंटवारा हम दोनों ने किया था। मेरे हिस्से में ₹1,10,000 (एक लाख दस हजार रुपये) आए थे, जिनमें से कुछ पैसा मुकदमों की जमानत व अन्य खर्चों में खर्च हो गया। कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। आज आप लोगों ने पकड़

लिया। उसी चोरी के ₹5,000 मैंने तकिए के कवर में दो महीने पहले रख दिए थे, वही आपको बरामद करवा दिए। तत्पश्चात कमरे में पड़े बेड के नीचे तलाशी ली गई तो अभियुक्त सलमान ने बताया कि, "साहब, इस सफेद बोरी में 20 किलो गांजा रखा है। इस पर राजपत्रित अधिकारी श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर को सूचना दी गई, जो मौके पर उपस्थित आए। क्षेत्राधिकारी नगर, फतेहपुर की मौजूदगी में गांजे के पैकेट से भरी बोरी को पलटकर अभियुक्त उपरोक्त से गिनती कराई गई तो उसमें खाकी रंग के टेप से पैक किए हुए 10 पैकेट गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामद गांजे के संबंध में अभियुक्त से पूछा गया कि गांजा कहाँ से लाए थे, तो उसने बताया कि यह गांजा उसने एक गाड़ी से चोरी किया था। उस समय उसे पता नहीं था कि इस बोरी में गांजा है। बाद में पता चला तो उसे घर में छिपाकर रख दिया। करीब दो महीने से गांजा घर में रखा था। तब से मैं जेल में था। अब आकर इसकी बिक्री करता, उससे पहले ही आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. सलमान उर्फ सलीम उर्फ राजू पुत्र छेदू निवासी शांति नगर अरबपुर बस स्टैंड के पास थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी के 5000/- रुपये तथा 20 किलो नाजायज गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 11/2024 धारा 379/411 भादवि थाना औंग जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 17/2024 धारा 41/411 भादवि थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 431/2025 धारा 112,305,317(2),331 बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 82/2021 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 83/2021 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 743/2021 धारा 380, 411, 414, 457 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
7. मु0अ0सं0 358/2021 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
8. मु0अ0सं0 452/2022 धारा 380, 511 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
9. मु0अ0सं0 453/2022 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
10. मु0अ0सं0 454/2022 धारा 411, 413, 414 भादवि थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
11. मु0अ0सं0 455/2022 धारा 25, 3 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
12. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 112,305(a),317(2), 317(5),331(1),61(2) बीएनएस थाना राधानगर जनपद फतेहपुर
13. मु0अ0सं0 431/2025 धारा 305/331/317(2)/112 बीएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
14. मु0अ0सं0 84/2026 धारा 305(A),331(4),317(2) BNS व 8/20 N.D.P.S act थाना मलवां जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० बृजेश कुमार यादव
2. उ०नि० मनोज कुमार यादव
3. का० अजीत कुमार
4. रि०का० शशिकांत
5. रि०का० शिवम यादव
6. म०का० नीतू
7. रि०म०का० शिवानी नायक

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर